

RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD.

RVPN F&R- 193

NO. RVPN/AS/GAD/F&R/F.2 /D.367

JAIPUR, DT. 19/4/04

ORDER

The Co-ordination Committee in its 68th meeting held on 24.3.2004 has decided that the State Govt. order dt.20.1.2004 (copy enclosed for ready reference) in respect of use of vehicles may be adopted in the five companies of erstwhile RS&B. Accordingly, the facility of using the Nigam's vehicle from residence to office and office to residence (one time) is provided to the Head of Departments, Class-I etc. in all the Power sector entities by deduction of Rs.300/- Per month from their salary in this behalf with a maximum ceiling of 500 Kms. & Chairman and Managing Director/ Managing Directors on payment of Rs.350/- Per month with a maximum ceiling of 700 Kms.

(SHRI RAM CHORDIA)
SECRETARY (ADMN.)

Copy to the following for information and necessary action:-

1. The Chairman & Managing Director, RVPN/RVUN, Jaipur.
2. The Managing Director, Jaipur/Ajmer/Jodhpur C.scom, Jaipur/Jodhpur, Ajmer.
3. The Chief Engineer (), _____,
4. The Addl./Dy.Chief Engineer (), RVPN, Jaipur.
5. The Chief Controller of Accounts, RVPN, Jaipur
6. The Commissioner Eng.(I/III), RVPN, Jaipur.
7. The Superintending Engineer (), RVPN, _____.
8. The Company Secretary, _____.
9. The C.A.O./Dy.COA (), RVPN, Jaipur.
10. The Sr.A.O./A.O. (), RVPN, _____.
11. PS/PA to CMD, _____.
12. PS to Director (F&CA/T&C), RVPN, Jaipur.
13. PA to Secretary (Admn.), RVPN, Jaipur.
14. The Superintending Engineer (O&M-Circle), BBMB, Panipat, Haryana.
15. The Executive Engineer (R&T), RVPN, Jaipur.
16. Office order/Master File.

ASSTT. SECRETARY (GAD)


JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED

No. JPD/CAO/Rules/F.110/D. 131 (93)

Jaipur, dated: 22-4-04

Copy to the following for information and necessary action :-

1. The Chief Engineer (O&M), Jaipur Discom, Jaipur
2. The F.A. & Controller of Accounts, Jaipur Discom, Jaipur
3. The Secretary, Jaipur Discom, Jaipur
4. The Addl. Superintendent of Police (Vig.), Jaipur Discom, Jaipur
5. The Dy. Chief Engineer (), Jaipur Discom, Jaipur
6. The Chief Personnel Officer, Jaipur Discom, Jaipur
7. The Superintending Engineer (), Jaipur Discom, _____
8. The Company Secretary, Jaipur Discom, Jaipur
9. The Sr. Accounts Officer(), Jaipur Discom, _____
10. The Public Relation Officer, Jaipur Discom, Jaipur
11. The Dy. Director Personnel (), Jaipur Discom, _____
12. The Executive Engineer (), Jaipur Discom, _____
13. The Accounts Officer/Asstt. Accounts Officer (), Jaipur Discom, _____
14. The Asstt. Secretary/ Estt. Officer (), Jaipur Discom, _____
15. P.A. to the Managing Director, Jaipur Discom, Jaipur


(A.K.Jain)

Chief Accounts Officer

राजस्थान सरकार
स्टेट मोटर वैराज विभाग

कमांक प. 4(8) ए.टी.पी. / 2003

जयपुर, दिनांक 1 28 अगस्त, 2004

आदेश

हस विभाग के आदेश कमांक प. 23(85)सा.प्र./1/80 दिनांक 3.8.88 द्वारा निम्नांकित अधिकारियों को रुपये 200/- प्रतिमाह भुगतान के आधार पर राजकीय वाहन को निवास से कार्यालय तथा कार्यालय से निवास तक आने-जाने के लिए उपयोग में लिये जाने हेतु अधिकृत किया गया था :

1. मुख्य सचिव ।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव ।
3. समस्त पुलिस महानियेशक ।
4. समस्त प्रमुख सचिव / शासन सचिव ।
5. समस्त सम्भागीय आयुक्त ।
6. समस्त पुलिस महानियेशक ।
7. समस्त शासन शिक्षक सचिव ।
8. समस्त पुलिस उप महानियेशक ।
9. समस्त विभागाध्यक्ष ।
10. समस्त जिला कलेक्टर ।
11. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो ।
12. पुलिस मुख्यालय पर पदस्थापित समस्त पुलिस अधीक्षक, कमाण्डेण्ट, आर.एस. पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी. जोन, राज्यपाल के ए.डा.सा. एवं प्राचार्य पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, जयपुर/जोधपुर ।
13. भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय वन सेवा की वरिष्ठ वेतन श्रेणियाँ एवं उरा उच्च श्रेणी के अधिकारी, जिनके पास राजकीय वाहन उपलब्ध हैं ।

सातवचारास हस विभाग के आदेश कमांक प. 21(17)सा.प्र./1/82 दिनांक 24.11.1989 द्वारा राजकीय वाहन नव वाहन बालक पी.ओ.एल. एवं संधारण ध्यय यह करने की शर्त पर आदेश के अनुच्छेद-7 के तहत आपण्टित कराने की सुविधा सम्बन्धित अधिकारी की मांग पर प्रदान की गई थी । पूर्व में व्यवस्थानुसार सम्बन्धित अधिकारी के वेतन से रुपये 200/- प्रतिमाह की कटौती कर वाहन उपलब्ध कराने

राजकीय सुविधा समाप्त हो गई थी। लाकन राजस्व प्रशासन एवं कानून व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों की यह सुविधा समाप्त नहीं की गई थी।

2. इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी, जो वाहन हेतु अधिकृत हैं एवं इस विभाग द्वारा जारी उक्त आदेशों के क्रम में किसी सुविधा का लाभ नहीं ले रहे हैं, वे कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक. प. 5(38)कार्मिक/क-1/01 दिनांक 2.2.2002 के अनुसार मातायात भत्ता प्राप्त कर रहे हैं।

3. अब विभाग के आदेश दिनांक 3.6.98 एवं 24.11.99 को संशोधित कर नवीन व्यवस्था के तहत निम्न निर्देश प्रसारित किये जाते हैं :-

अ. अनुच्छेद-1 में उल्लेखित अधिकारी, जो चिन्हित राजकीय वाहन के शिपे अधिकृत हैं, वे निवास से कार्यालय आने-जाने के लिए यदि विभागीय पूल वाहन का उपयोग करना चाहें, तो ऐसे अधिकारी के वेतन से 300/- रुपये प्रतिमाह की कटौती की जा कर यह सुविधा देय होगी।

ब. इस विभाग के आदेश क्र. प.21(17)साप्र/1/92 दिनांक 24.11.99 के अनुच्छेद 7 एवं 8 के तहत प्रदत्त सुविधाएँ तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती हैं। जिन अधिकारियों को उक्त अनुच्छेद 7 एवं 8 के तहत वाहन/चालक आवंटित है, वे अधिकारी ऐसे वाहन/चालक को दिनांक 1 फरवरी, 2004 तक स्टेट मोटर गैराज को सनपित करेंगे।

स. अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी यदि उपरोक्त व्यवस्थाओं के अनुसार किसी कारणवश वाहन का उपयोग नहीं कर पाते हैं तो उन्हें कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 22.2.2002 के आधार पर नियमानुसार वाहन भत्ता देय होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त सुविधा उन्हीं अधिकारियों को देय होगी, जिनके पास पूर्व में राजकीय वाहन उपलब्ध है तथा अधिकारियों को इस व्यवस्था हेतु कोई नया वाहन उपलब्ध नहीं कराया जायेगा। यदि किसी अधिकारी के पास राजकीय वाहन आवंटित नहीं है तो यह आदेश उन्हें राजकीय वाहन आवंटन/उपलब्ध कराने हेतु अधिकृत नहीं करेगा।

उक्त आदेश वित्त विभाग के आई.डी. क्रमांक: PSF/320 दिनांक 19.1.2004 की सहमति के अनुसरण में जारी किये जाते हैं।

चन्द्र मोहन मीना
(चन्द्र मोहन मीना)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त शासन प्रमुख सचिव, राजस्थान।
4. महानिदेशक एवं महानिरीक्षक, आरक्षी, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, महागठित राज्यपाल/माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान।
6. समस्त शासन सचिव/शासन विशिष्ट सचिव, राजस्थान।
7. समस्त साम्बागीय आयुक्त, राजस्थान।
8. समस्त जिला कलेक्टर/जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
9. समस्त विभागाध्यक्ष।
10. निजी सचिव, लोकप्रमुख, राजस्थान, जयपुर।
11. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
12. निजी सचिव, माननीय मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर।
13. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण, राजस्थान सरकार।
14. निजी सचिव, सरकारी मुख्य सचेतक/उप मुख्य सचेतक, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
15. महाधियक्ता, राजस्थान, जयपुर।
16. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
17. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
18. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
19. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर।
20. शासन उप सचिव, कार्मिक (स) विभाग/पंजीयक, शासन सचिवालय, जयपुर।
21. मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
22. संक्षिप्त पत्रावली।

शासन उप सचिव